कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक– 1258 /FP/UK/ROAD/7833/2014 :देहरादून:दिनांक: 12 नवम्बर, 2018

सेवा में,

सचिव,
वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4,
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः–जनपद–पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गंगोलीहाट से रणकोट उप्रेती मोटर मार्ग हेतु 1.5375 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (ऑनलाईन पत्रावली सं0 FP/UK/ROAD/7833/2014)

संदर्भः– वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या 732/X-4-15/1(412)/2015 दिनांक 13–08–2015

महोदय,

कृपया वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन के उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त के अनुपालन में अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0 खण्ड, लो0नि0वि0, पौथौरागढ़ के पत्रांक 1453/9याता पी0एम0जी0एस0वाई0 दिनांक 23–10–2018 के माध्यम से सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसे निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है :–

1. शर्त संख्या–1 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 3.075 है0 ग्राम–रणकोट सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु देय धनराशि रू0 7,08,178.00 ऑनलाईन चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में म्यूटेशन की गयी भूमि के अभिलेख, खसरा–खतौनी की नकल संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे है। **(संलग्नक–1)**
2. शर्त संख्या–2 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पडे स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु देय धनराशि रू0 7,76,952.00 ऑनलाईन चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है।
3. शर्त संख्या–3 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की देय धनराशि रू0 10,74,712.00 ऑनलाईन चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। **(संलग्नक–2)**
4. शर्त संख्या–4 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित एन0पी0वी0 की दरों में बढ़ोत्तरी होने पर बढ़ी हुई दर से अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने की बचनबद्धता का प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नक–3)**
5. शर्त संख्या–5 एवं 6 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्तानुसार जमा की गयी कुल धनराशि रू0 25,59,842.00 ऑनलाईन चालान के माध्यम से जमा की जा चुकी है। **(संलग्नक–4)**
6. शर्त संख्या–7, 8 एवं 9 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अपने पत्रांक 1453/9याता पीएमजीएसवाई दिनांक 23–10–2018 में अपनी बचनबद्धता प्रस्तुत की गयी है। **(संलग्नक–5)**

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति/शासनादेश निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय

(मनोज चन्द्रन)
मुख्य वन संरक्षक

संख्या 1258 / **FP/UK/ROAD/7833/2014 दिनांकित।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।
2. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0, पिथौरागढ़।

(मनोज चन्द्रन)
मुख्य वन संरक्षक

o/c